न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 335/2013

अनवान :

1. बुधराम 2. ख्यालीराम 3. बनवारीलाल 4. हेतराम 5. मनीराम	पिसरान भोमाराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (राज0)
6. रतनलाल 7. विनोद कुमार	पिसरान घड़सीराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. मनफुल पुत्र आदराम जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. बगड़ावत पुत्र आदराम जाति कुम्हार निवासी जाटान हाल निवासी 91-पी.डी. चक सरदारवाला तहसील रावतसर निवासी जाटान।
3. मनोहर } पिसरान सम्पत जाति कुम्हार निवासी जाटान
4. शेरसिंह } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. शांतिदेवी बेवा सुलतान पुत्र आदराम जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा।
6. रणजीत पुत्र बेगाराम जाति कुम्हार निवासी जाटान हाल निवासी राजपुराबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. महेन्द्र पुत्र बेगाराम जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा हाल निवासी कुम्हार वालों की ढाणी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री रामस्वरूप देहडु : वादीगण

निर्णय **दिनांक :** 15-11-17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 4/6 के खसरा सं0 16 की 2.7320 है0 (टिब्बावाला), खसरा सं0 126 की 1.7700 है0(टुकडी), खसरा सं0 128 की 4.4260 है0 (टुकड़ी) बारानी कुल 8.9280 है0 कृषि भूमि स्थित है जो हाल जमाबन्दी में आदराम वल्द जिसुख 70 हिस्सा बारानी बेगाराम वल्द बिरबल 70 हिस्सा, रतनलाल, विनोद कुमार पिसरान घड़सीराम 87-1/2 हिस्सा, बुधराम,

ख्यालीराम, बनवारीलाल पिसरान भोमाराम 262–1/2 हिस्सा, हेतराम व मनीराम पिसरान भोमाराम 216 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है।

आदराम व बेगाराम सगे भाई थे जिनके बाप का नाम बीरबल है परन्तु हाल जमाबन्दी में सहबन से लिपिकीय भूल के कारण आदराम वल्द जिसुख गलत दर्ज हो गया है जो कि आदराम वल्द बीरबल होना चाहिए था। इस प्रकार वादीगण ने रोही मौजा जाटान में स्थित आराजी में रिकार्ड दुरूस्ती कर घोषणा करवाने एवं बाद घोषणा खाता विभाजन करवा खाता व लगान अलग अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर भिजवाई गई थी अब तहसीलदार राजस्व भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया है कोई एतराज/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अत : मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. मनफूल पुत्र आदराम सा0 जाटान 1/8 हिस्सा बगड़ावत पुत्र आदराम 1/8 हिस्सा सा0 जाटान हाल निवासी 91 पी0डी0 चक सरदारवाला तहसील रावतसर मनोहर शेरसिंह पि0 सम्पत 1/8 हिस्सा सा0 जाटान शान्तिदेवी पत्नि सुलतान 1/8 हिस्सा सा0 जाटान रणजीत पुत्र बेगाराम 1/4 हिस्सा सा0 जाटान हाल निवासी राजपुराबास भादरा महेन्द्र पुत्र बेगाराम 1/4 हिस्सा सा0 जाटान हाल कुम्हारो वाली ढाणी रावतसर कौम कुम्हार खातेदार के पास : रोही मौजा जाटान खसरा सं0 126 रकबा 1.770 है0 बारानी
2. बुधराम बनवारीलाल ख्यालीराम पि0 भोमाराम 3/4 हिस्सा रतनलाल, विनोदकुमार पि0 घड़सीराम 1/4 हिस्सा जाति खाती सा0 जाटान खातेदार के पास : रोही मौजा जाटान खसरा सं0 128 रकबा 4.426 है0 बारानी
3. हेतराम मनीराम पि0 भोमाराम जाति खाती सा0 जाटान खातेदार के पास : रोही मौजा जाटान के खसरा सं0 16 रकबा 2.732 है0 बारानी

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/11/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) R.A.S. (हन.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़